



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2001/श्रावण 17, 1923

No. 563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2001/SRAVANA 17, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2001

का.आ. 765(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

(क) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :-

1	2	3
"2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31, सं. 31 सी, सं.36, सं. 39, सं. 51, सं. 52 बी, सं. 54 [सिल्वर - वैरंगटे (लैलापुर) खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 62, सं. 153 और सं. 154 का असम राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 बी, सं. 37 (156.500 से 164.395 कि.मी. तक गुवाहाटी बाइपास को छोड़कर) सं. 37 ए, सं. 38 और सं. 152	असम राज्य सरकार "

(ख) क्रम सं. 2 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :-

2 क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 153 का अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित खंड	अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ;
-----	--	------------------------------

(ग) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :-

“8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. [0.0 से 103.0 कि.मी. (चेन्नई से रानीपेट) तक छोड़कर], सं.7 [(134.000 से 141.000 कि.मी.और 156.000 से 163.400 कि.मी. तक , कृष्णागिरि - सलेम - मदुरै को छोड़कर)] [33.0 से 94.0 कि.मी. (होसूर से कृष्णागिरि) तक छोड़कर], सं. 45ए [(तमिलनाडु / पांडिचेरी सीमा से नागापट्टनम तक खंड सहित)] सं. 47, सं.49 , सं. 66, सं. 205, सं. 207, सं. 208, सं. 209 , सं. 219 और सं. 220 का तमिलनाडु राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 ए, सं. 67, सं. 68, सं. 45बी और सं. 210 .	तमिलनाडु राज्य सरकार ”
----	--	------------------------

[फा. सं. एन एच-14012/1/2001-पी एंड एम]
एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 4.4.1957 की सं. का.नि.आ. 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार 24.4.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 350 (अ) के तहत संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2001

S.O. 765(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the then Ministry of Transport, number S.R.O.1181, dated the 4th April, 1957, namely :-

In the said notification, in the Schedule:-

- (a) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
"2	So much of National Highways No.31 No.31C, No.36, No.39, No.51, No.52B, No.54 [excluding Silchar- Vairangte (Lailapur) portion], No.61, No.62, No. 153 and No.154 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 (excluding from Km.156.500 to Km.164.395 Guwahati Bypass), No.37A, No.38 and No.152	State Government of Assam";

- (b) for serial number 2A and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"2A	So much of National Highway No. 153 as is situated within the State of Arunachal Pradesh	State Government of Arunachal Pradesh"
-----	--	--

(c) for the serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No. 7 [(excluding from Km. 134.000 to Km. 141.000 and Km. 156.000 to Km. 163.400, Krishnagiri-Salem-Madurai)] [excluding from Km. 33.0 to Km. 94.0 (Hosur to Krishnagiri)], and No. 45A [(including portion from Tamil Nadu / Pondicherry border to Nagapattinam)], No. 47, No. 49, No. 66, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209, No.219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 67, No. 68, No. 45B and No. 210.	State Government of Tamil Nadu”.
----	--	----------------------------------

[F. No. NH-14012/1/2001-P&M]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated 4.4.1957 and last amended vide notification S.O. 350 (E) dated 24.4.2001.